न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीश सिंह आशिया,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 96 / 2023

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**

खीमाराम पुत्र तिलोकाराम, उम्र–60 साल, जातियान–मेगवाल, निवासी–गालानाडी, तहसील–सिणधरी, जिला–बाड़मेर	1. गोरधनराम पुत्र भगाराम 2. पनाराम पुत्र रावताराम 3. सुरताराम पुत्र रावताराम 4. देवाराम पुत्र भगाराम 5. भंवरराम पुत्र निम्बाराम 6. सुकीदेवी पत्नी निम्बाराम 7. मोडाराम पुत्र दुर्गाराम 8. राणाराम पुत्र दुर्गाराम, 9. हराराम पुत्र दुर्गाराम, उम्र–व्यसक, निवासी–गालानाडी, तहसील–सिणधरी, जिला–बाड़मेर जातियान–मेगवाल, 10. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री जोगराज पोटलिया, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री बींजाराम गोदारा अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 4 व 7 से 9 अनुपस्थित।
3. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।
4. विप्रार्थी सं. 10 के पैरोकार सरकार उप0।

<u>निर्णय</u>

दिनांक– 17.04.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:15:44 IST
Reason: SelfAttested

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार [illegible]कील प्रार्थीगण श्री जोगराज पोटलिया द्वारा उपस्थित होकर एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है। जो प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थीगण ने तर्क दिए कि उनकी ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थीगण को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है,कि कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी सं. 1 से 9 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जा काश्त की आराजी तहसील सिणधरी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी ग्राम गालानाडी में खसरा नम्बर 103 रकबा 6.9574

सहायक कलक्टर
[illegible] सिणधरी

हैक्टेयर, खसरा संख्या 140 रकबा 1.6018 हैक्टेयर, खसरा संख्या 63 रकबा 1.2701 हैक्टेयर, खसरा संख्या 89 रकबा 4.4576 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 97 रकबा 6.1080 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/4 हिस्सा है तथा पक्षकारान अपने अपने हिस्से अनुसार कब्जा काश्त करते आ रहे है। वर्तमान में राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 09 के बीच में विभाजन को लेकर विवाद रहता है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप से बंटवाडा होने से प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण संख्या 1 से 09 के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगडा रहता है एवं विप्रार्थीगण, प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे अनुसार कायम सेढो को तोड रहे है तथा सामलाती भूमि का बेचान अजनबी व्यक्तियों को करने पर आमादा है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर का खेत तहसील सिणधरी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी ग्राम गालानाडी में खसरा नम्बर 103 रकबा 6.9574 हैक्टेयर, खसरा संख्या 140 रकबा 1.6018 हैक्टेयर, खसरा संख्या 63 रकबा 1.2701 हैक्टेयर, खसरा संख्या 89 रकबा 4.4576 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 97 रकबा 6.1080 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी के कब्जा काश्त में विप्रार्थीगण किसी प्रकार की दखलअन्दाजी हस्तक्षेप व बाधा कारित नहीं करें तथा न ही प्रार्थी को बेदखल करने की कोशिश करें तथा न ही भूमि का बेचान करें तथा वादग्रस्त भूमि के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखें, इस आशय की अस्थायी निशेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्व जारी की जावे।

प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगर्ण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 4 व 7 से 9 के वकील उपस्थित हुए, परन्तु उनकी ओर से कोई प्रत्युतर प्रस्तुत नहीं किया तथा शेष विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने पर उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि प्रार्थी व विप्रार्थी संख्या 1 से 09 की संयुक्त खातेदारी भूमि तहसील सिणधरी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी ग्राम गालानाडी में खसरा नम्बर 103 रकबा 6.9574 हैक्टेयर, खसरा संख्या 140 रकबा 1.6018 हैक्टेयर, खसरा संख्या 63 रकबा 1.2701 हैक्टेयर, खसरा संख्या 89 रकबा 4.4576 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 97 रकबा 6.1080 हैक्टेयर भूमि अवस्थित है। जिसमें प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 09 के राजस्व रिकॉर्ड (जमाबन्दी) में हिस्से भी खुए हुए है,जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी अवलोकन से स्पष्ट है। विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने तक प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जाता है। यदि दौराने विचारण वाद प्रार्थीगण को कब्जा शुदा खातेदारी भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि की मौके स्थिति में भी फेरबदल हो जाता है एवं बिना विधिक बंटवाड़ [illegible] प्रार्थी को क्षति होनी की संभावना बढती है। पक्षकारान के मध्य विवाद बढने [illegible] भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में [illegible] ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में साबित हो [illegible] विप्रार्थीगण [illegible] स्थगन आदेश से पाबंद किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:15:44 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे तहसील सिणधरी पटवार मण्डल चाडो की ढाणी ग्राम गालानाडी में खसरा नम्बर 103 रकबा 6.9574 हैक्टेयर, खसरा

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

संख्या 140 रकबा 1.6018 हैक्टेयर, खसरा संख्या 63 रकबा 1.2701 हैक्टेयर, खसरा संख्या 89 रकबा 4.4576 हैक्टेयर तथा खसरा संख्या 97 रकबा 6.1080 हैक्टेयर के प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी, कब्जा इत्यादि नहीं कर वादग्रस्त भूमि के मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 17.04.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.06.08 18:15:44 IST
Reason: SelfAttested